भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *258
12.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पोषण 2.0 का कार्यान्वयन

*258. **डा. सैयद नसीर हुसैन:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के पश्चात महिलाओं तथा बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन किया है;
(ख) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बाल अवरुद्ध वृद्धि, क्षीणता तथा रक्ताल्पता की जिला-वार व्यापकता संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या अत्यधिक प्रकोप वाले जिलों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'पोषण 2.0 का कार्यान्वयन' विषय पर डॉ. सैयद नसीर हुसैन द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 258 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा वर्ष 2025 में 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 का परिणाम-आधारित मूल्यांकन अध्ययन किया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त साक्ष्यों से यह परिलक्षित हुआ कि अपने वर्तमान स्वरूप में मिशन पोषण 2.0, पूर्ववर्ती कार्यक्रमों के अनुभवों के आधार पर समन्वित एवं सुदृढ़ दृष्टिकोण अपनाते हुए कुपोषण से समग्र रूप से निपटने और बाल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार का नवीनतम प्रयास है। मिशन पोषण 2.0 के पूर्ववर्ती कार्यक्रम पोषण अभियान का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन भी नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020 में किया गया था। इस मूल्यांकन में देश में कुपोषण से निपटने के लिए पोषण अभियान की प्रासंगिकता को संतोषजनक पाया गया।

बच्चों की पोषण स्थिति तथा मिशन की प्रगति का डिजिटल माध्यम से आकलन करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित निगरानी उपकरण के रूप में शुरू किया गया है। इसके माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा लाभार्थियों के घरों पर प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की निगरानी एवं समीक्षा की सुविधा उपलब्ध है। इससे मंत्रालय के साथ-साथ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न मानदंडों पर मिशन के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा करने में सहायता मिली है। बौनापन, दुबलापन तथा कम वजन संबंधी पोषण संकेतकों की जिला-वार स्थिति पोषण ट्रैकर के सार्वजनिक डैशबोर्ड https://www.poshantracker.in/statistics.पर उपलब्ध है:

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी एनीमिया से पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित आंकड़े रखता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बच्चों में एनीमिया की जिला-वार व्यापकता से संबंधित नवीनतम उपलब्ध विवरण https://www.nfhsiips.in/nfhsuser/publication.php लिंक पर उपलब्ध है।

अधिक मामले वाले जिलों सहित पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न उपाय निम्नानुसार हैं:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा किशोरियों को गर्म पका हुआ भोजन (एचसीएम) और टेक-होम राशन (टीएचआर) के रूप में पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। गंभीर तीव्र कुपोषित (एसएएम) बच्चों को टेक-होम राशन (टीएचआर) के रूप में अतिरिक्त पोषण भी प्रदान किया जाता है।
- मंत्रालय ने दिनांक 12 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं धात्री माता तथा 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए निर्धारित पात्रताओं को विनियमित करने हेतु एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम-सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण (2.0) नियम, 2022 जारी किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा हाल ही में पूरक पोषण संबंधी व्यापक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनमें पूरक पोषण की गुणवत्ता, विविधता एवं स्वीकार्यता में सुधार तथा निर्धारित पोषण मानकों एवं गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।
- मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों को डेटा रिचार्ज सुविधा सहित स्मार्टफोन उपलब्ध कराकर समर्थ बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत लाभार्थियों की नियमित वृद्धि निगरानी के लिए वृद्धि निगरानी उपकरणों (जीएमडी), अर्थात् इन्फैन्टोमीटर, स्टेडियोमीटर, शिशु वजन मापक मशीन तथा माता एवं बाल वजन मापक मशीन का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, इन उपकरणों के खराब होने/अनुपलब्ध होने के कारण कार्य प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर स्मार्टफोन के लिए 2 प्रतिशत तथा जीएमडी के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भंडार (बफर) रखने एवं उसका रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चार वर्ष से अधिक पुराने स्मार्टफोन एवं जीएमडी को बदला जा सकता है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा 0-3 वर्ष आयु वर्ग के छोटे बच्चों को पोषण परामर्श, देखभाल संबंधी मार्गदर्शन तथा प्रारंभिक बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए सुव्यवस्थित गृह दौरे किए जाते हैं।
- मिशन के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों में से एक सामुदायिक लामबंदी एवं जागरूकता प्रसार है, जिसे जन आंदोलनों के रूप में संचालित किया जाता है। इसके अंतर्गत सितम्बर तथा मार्च-अप्रैल माह में क्रमशः पोषण माह और पोषण पखवाड़ा आयोजित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य पोषण संबंधी विषयों पर

जागरूकता उत्पन्न करना है, क्योंकि बेहतर पोषण संबंधी आदतों को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन हेतु प्रोटोकॉल जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण की स्क्रीनिंग एवं उपचार करना तथा इससे संबंधित रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करना है।
- आहार विविधता तथा पौष्टिक स्थानीय उत्पादों के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं। मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत देशभर के आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिकाएं अथवा पोषण बगीचे (न्यूट्री-गार्डन) स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय एवं मौसमी फलों तथा सब्जियों के उपभोग को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे आहार विविधता में सुधार हो तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों का सेवन बढ़े।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जीवन-चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति का कार्यान्वित करता है। इसके अंतर्गत देशभर में किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है:

- एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी)के अंतर्गत एनीमिया की उच्च व्याप्तता से निपटने के लिए सुदृढ़ संस्थागत तंत्र के माध्यम से सात लाभार्थी आयु समूहों तथा सात कार्यकलापों को शामिल करते हुए 7x7x7 कार्यनीति का कार्यान्वित की जाती है।
- चिकित्सीय जटिलताओं से ग्रस्त मध्यम एवं गंभीर तीव्र कुपोषित 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भर्ती कर चिकित्सीय एवं पोषण संबंधी देखभाल प्रदान करने के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्रों (एनआरसी) का प्रावधान है।
- स्तनपान कराने को प्रोत्साहित करने के लिए मां का पूर्ण स्नेह (एमएए) कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है।
- नवजात गहन देखभाल इकाइयों तथा विशेष नवजात देखभाल इकाइयों में भर्ती बीमार, समय-पूर्व जन्मे तथा जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं को पिलाने के लिए सुरक्षित एवं पाश्चुरीकृत डोनर ह्यूमन मिल्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्तनपान प्रबंधन केन्द्रों का प्रावधान है।

- मृदा-संचारित कृमि (एसटीएच) संक्रमण को कम करने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) के अंतर्गत एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं।
- मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने तथा पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) आयोजित किए जाते हैं।
